# निर्णय कैम्प क़ोर्ट अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज0)

प्रकरण सख्या–79 / 2024(प्रार्थना पत्र)
दायर दिनांक – 11 / 07 / 2024
निर्णय दिनांक –25 / 06 / 2025

अनवान

1. बाबुसिंह पिता भोजा जाति रावत निवासी कामला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. अर्जुनसिंह पिता गोमसिंह जाति रावत निवासी कामला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. इन्द्रा पुत्री लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी कामला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. केली पुत्री रूपसिंह जाति रावत निवासी कामला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. केसरसिंह पिता पना जाति रावत निवासी कामला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. चुनसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी कामला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. तारासिंह पिता रूपसिंह जाति रावत निवासी कामला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
8. प्रतापसिंह पिता रूपसिंह जाति रावत निवासी कामला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
9. ~~भैरूसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी कामला तहसील देवगढ़ जिला~~ राजसमन्द
10. मीना पुत्री लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी कामला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
11. रेखा पुत्री रूपसिंह जाति रावत निवासी कामला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
12. लच्छु पुत्री भोजा जाति रावत निवासी कामला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

13. सुजीदेवी पत्नी लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी कामला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
14. सोहनसिंह पिता भोजा जाति रावत निवासी कामला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

**बनाम**

1. नेनसिंह पिता मोतीसिंह जाति रावत निवासी कामला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. श्रवणनाथ पिता शम्भुनाथ जाति नाथ निवासी कामला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. किशननाथ पिता भैरूनाथ जाति नाथ निवासी कामला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. पप्पुसिंह पिता शेषुसिंह जाति रावत निवासी कामला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128भू राजस्व अधिनियम**

**: : निर्णय : :**

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी और कब्जे की कृषि भूमि ग्राम कामला, पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 05 खसरा संख्या 276., 278 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5800 हैक्टेयर भूमि स्थित है उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की होकर प्रार्थीगण इस पर कब्जे काश्त होकर इसका उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कुलिया आराजियात पर निर्बाध रूप से काश्त वगैरा करते चले आ रहे हैं किन्तु प्रार्थीगण की उक्त भूमि के चारों तरफ पत्थर कि

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

पक्की बाउन्डरी सीमा चिन्ह नहीं होने से अप्रार्थीगण जो प्रार्थीगण के उक्त वर्णित भूमि के सीमा से मिलते हुए पडौसी है हर समय प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने की नियत रखते है जिससे फसल बुवाई, कटाई के समय सीमा संबंधी विवाद होता है तथा अनावश्यक प्रार्थी को मुकदमे बाजी के लिये विवश होना पड़ रहा है मौके पर अशांति कायम रहती है जिससे प्रार्थीगण उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक भूमि पर काश्त, उपयोग, उपभोग भूमि का नहीं कर पा रहे है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजीयात की सीमा से मिलते हुए विपक्षीगण की भूमि की सीमा है जिससे विपक्षीगण प्रार्थी की उक्त भूमि के पडौसी है, किन्तु सीमा बाबत् विवाद प्रार्थीगण से पैदा होता है इसलिये आराजीयात के पड़ौसी होने से आवश्यक पक्षकार के रूप ये विपक्षी बनाया गया है। आराजी नम्बर 276 रकबा 0.2600 व आराजी संख्या 278 रकबा 0.3200 हैक्टेयर प्रार्थीगण संख्या 01, 02, 03, 04, 05 के कब्जा होने से पत्थरगढ़ी करना चाहते है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजियात की बाद नपती पत्थरगढ़ी हो जाती है तो प्रार्थीगण को फसलों की बुआई व कटाई के समय विपक्षीगण से सीमा बाबत् जो विवाद बना रहता है वह हमेशा–हमेशा के लिए समाप्त हो जावेगा तथा प्रार्थीगण शांतिपूर्वक काश्त वगैरा व भूमि का उपयोग कर सकेगा। इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढी पेश किया गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि कलम संख्या 01 में वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जे की उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश प्रदान करावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01, 02, 03 एवं 04 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

गये। अप्रार्थी संख्या 05 पैरोकार सरकार ने पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु सहमति प्रदान की। पत्रावली पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा के दौरान ग्राम पंचायत विजयपुरा में आयोजित शिविर में पेश हुई।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार है :—

Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession. (2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

Sec. 128. Boundary disputes.- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम कामला, पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 05 खसरा संख्या 276, 278 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5800 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पश्चात् उपस्थिति में सीमाज्ञान करते हुए प्रमाणिक राजस्व नक्शे के आधार पर सहमति से पत्थरगढ़ी की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। यदि कब्जे/रकबा कम/ज्यादा संबंधी विवाद अथवा फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नहीं की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प कोर्ट विजयपुरा में मजमें आम में सुनाया गया।

(अर्चना चौ[illegible] R.A.S.)
सहायक कलेक्टर देवगढ़
जिला राजसमन्द